

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4889 / 11-12

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ओमदत्त शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ओमदत्त शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 4603 दिनांक 23.03.2012
(ग) जन्मतिथि	: 10.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती गायत्री देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 31.01.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: (37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: (37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	: 53600/-
(ङ) मूल पेंशन	: 14415/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 5766/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 8649/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: 14415/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 8649/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	: 13
(ख) निर्धारित वेतन	: 139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: -
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: -
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 5766/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 63784/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: 69550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: -

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 28/11/18

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4889 / 11-12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम गाजियाबाद।
- श्री ओमदत्त शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, शिवम, बिहार मुरादनगर, गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1830 / 04-05

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रूप नरायण जायसवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रूप नरायण जायसवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिर्वर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1934 दिनांक 24.08.2004
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मीरा जायसवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.07.1947
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	30.06.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	:	20000 / -
(ङ) मूल पेंशन	:	7600 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3040 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4560 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100 / -

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	69550 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4560 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64990 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1775 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1830 / 04-05

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन, लेसा भवन निकट रेजीडेन्सी, लखनऊ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री रूप नरायण जायसवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, 10 वैशाली इन्वलेव, सेक्टर 9 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत -

पंजीकृत -

दिनांक: 08/11/17

(मदन बिहारी वर्मा)

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2732 / 06-07

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मुरादाबाद।

सन्दर्भ:- पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र संख्या 1496 दिनांक 22.10.2018 को निरस्त करते हुए।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नत्थूमल अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नत्थूमल अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2940 दिनांक 28.08.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.05.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कामिनी अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.12.1951
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.04.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	53600/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9645/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3858/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5787/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	9645/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5817/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3858/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65692/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1280 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2732 / 06-07

दिनांक: 08/11/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, क्षेत्रीय विद्युत भार नियन्त्रणालय, 400 के०वी० उपकेन्द्र परिसर, मझोला-मुरादाबाद को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
- श्री नत्थूमल अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, बी-125, दीनदयाल नगर फेज-द्वितीय, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5204 / 13-14

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बहराइच।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री दिनेश चन्द्र त्रिवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री दिनेश चन्द्र त्रिवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4936 दिनांक 18.07.2013
(ग) जन्मतिथि	:	02.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरोजनी त्रिवेदी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	22.07.1952
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(37400-67000 ग्रे०पी० 8900)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पी० 8900)
(घ) वेतन	:	50110/-
(ङ) मूल पेंशन	:	22549/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	9019/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	13530/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	22549/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	12
(ख) निर्धारित वेतन	:	130600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	65300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	9019/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	56281/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	65300/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	39180/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5204 / 13-14

दिनांक: 26/1/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बहराइच।

3. श्री दिनेश चन्द्र त्रिवेदी, सं०नि० अवर अभियन्ता, ग०न० 538 /डी०पी०/70ए, रेलवे, कासिंग सीतापुर रोड लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)
(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5204 / 13-14

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 बहराइच।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री दिनेश चन्द्र त्रिवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री दिनेश चन्द्र त्रिवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 4936 दिनांक 18.07.2013
(ग) जन्मतिथि	: 02.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती सरोजनी त्रिवेदी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 22.07.1952
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 31.07.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: (37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: (37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	: 50110/-
(ङ) मूल पेंशन	: 22549/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 9019/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 13530/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: 22549/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 15033/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विद्विष्ट पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	: 12
(ख) निर्धारित वेतन	: 130600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 65300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: -
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: -
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 65300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 9019/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 56281/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: 65300/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 39180/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: -

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5204 / 13-14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बहराइच।
- श्री दिनेश चन्द्र त्रिवेदी, से०अभि० अवर अभियन्ता, म०न० 538 / डी०पी० / 70ए, रेलवे, कासिंग सीतापुर रोड लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत
 पंजीकृत

दिनांक: 06/11/17

(मदन बिहारी वर्मा)
 (मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1944/04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 मेरठ।

सन्दर्भ:- पूर्व में निर्गत पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र संख्या 1281 दिनांक 08.10.2018 निरस्त करते हुए।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री तिलक राज मेहता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री तिलक राज मेहता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2066 दिनांक 24.12.2004
(ग) जन्मतिथि	:	27.06.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती भानूमति
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(8550-13500)
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रे०पे० 5400)
(घ) वेतन	:	11850/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4839/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1935/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2904/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2904/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2165/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	33485/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	21390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 27/11/18

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1944/04-05

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
- श्री तिलक राज मेहता, से०नि० अवर अभियन्ता, 3381, म०न० 65 कैलाशपुरी मेरठ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-

(Signature)
 27/11/18

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2646 / 06-07

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कृष्ण गोपाल द्विवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कृष्ण गोपाल द्विवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2841 दिनांक 28.06.2006
(ग) जन्मतिथि	:	15.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती गिरजा द्विवेदी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	53600/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10389/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4155/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6234/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6840/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6553/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62997/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2646 / 06-07

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-तृतीय, लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में सलमन कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री कृष्ण गोपाल द्विवेदी, सं०नि० अवर अभियन्ता, 46/3, चाणक्य पुरी कृष्णा नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत -

पंजीकृत -

दिनांक: 08/11/17

(मदन बिहारी वर्मा)
 (मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6554/16-17

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विजय शंकर शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विजय शंकर शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5623 दिनांक 06.06.2016
(ग) जन्मतिथि	25.01.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शारदा शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.01.2015
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : (15600-39100 ग्रे०पे० 6600)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (15600-39100 ग्रे०पे० 6600)
 (घ) वेतन : 35170/-
 (ङ) मूल पेंशन : 17585/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 7034/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10551/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 17585/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10551/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 9
 (ख) निर्धारित वेतन : 93000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 46500/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : -
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 46500/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 7034/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 39466/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 46500/- दि० 25.01.2022 तक
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 27900/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1587 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6554/16-17

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, लेसा लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. श्री विजय शंकर शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, ई-3172 राजाजीपुरम, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत -

पंजीकृत -

15/1/18

(मदन बिहारी वर्मा)

(लेखाधिकारी पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 6448 / 15-16

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5511 दिनांक 09.12.2015
(ग) जन्मतिथि	:	15.07.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरला देवी श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.11.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(9300-34800)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800)
(घ) वेतन	:	27580 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	13790 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5516 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8274 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	13790 /- दि० 15.07.2020 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	8274 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	71300 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	35650 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	35650 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5516 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	30134 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	35650 /- दि० 15.07.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	21390 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 6448 / 15-16

दिनांक: 12/11/18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।
- श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, 2/6/75, आई खंदारी बाजार, नियावा रोड, फैजाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत -
पंजीकृत -
पंजीकृत -

(मदन मिहरी पना)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल),

लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाटा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2513/06-07

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती सावित्री देवी जायसवाल पत्नी स्व० हरीराम जायसवाल, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती सावित्री देवी जायसवाल पत्नी स्व० हरीराम जायसवाल, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2784 दिनांक 20.05.2006
(ग) जन्मतिथि	:	लागू नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सावित्री देवी जायसवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	17.07.1951
2. (क) मृत्यु तिथि	:	30.06.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9828/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3931/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5897/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6402/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या 1795 / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2513/06-07
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 12/11/18 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

- पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-
- अधिशाली अभियन्ता, पैब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, फैजाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
 - अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।
 - श्रीमती सावित्री देवी जायसवाल पत्नी स्व० हरीराम जायसवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, आदर्श नगर कालोनी, पैब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 - सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(नवन दिहारी पना)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4/99-2000

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	30 दिनांक 19.02.2000
(ग) जन्मतिथि	:	08.11.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शीला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	2600-4000
(ग) वेतनमान/वेतन बेड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रे०पे० 6600)
(घ) वेतन	:	10750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5348/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2139/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3209/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3225/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	33600/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 21/11/18

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4/99-2000

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मेरठ।
3. श्री सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता, सं०नि० अवर अभियन्ता, 221 इन्दिरा नगर द्वितीय मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मदन बिहारी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1775 / 04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
लखीमपुर-खीरी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री झबू लाल वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री झबू लाल वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1865 दिनांक 12.07.2004
(ग) जन्मतिथि	:	01.08.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शान्ती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	19550 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	5447 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2178 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3269 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3683 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	60 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमैटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	63228 /-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 /-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2178 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63372 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1799 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1775 / 04-05
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 12/11/18

पंजीकृत-
पंजीकृत-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, लखीमपुर-खीरी।
- श्री झबू लाल वर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, गो० शान्तीनगर, गद्दी रोड पो० मिदनिया नगर लखीमपुर, जिला खीरी(उ०प्र०)।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(मदन बिहारी वर्मा)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6342 / 15-16

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री उमाकान्त मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री उमाकान्त मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5388 दिनांक 03.07.2015
(ग) जन्मतिथि	28.11.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गीता मिश्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.07.1955
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.11.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	11352/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	11352/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	11352/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	6840/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	69550/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6342 / 15-16

दिनांक:

प्रतिसिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री उमाकान्त मिश्रा, सं०नि० अवर अभियन्ता, 893/2, नारायणपुरी, मानस नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2146 / 04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 2236 दिनांक 16.06.2005
(ग) जन्मतिथि	: 04.03.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती सरोज शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 03.02.1951
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि	: 31.03.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: 16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: (37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	: 20000/-
(ङ) मूल पेंशन	: 7005/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 2802/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 4203/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: -
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 4268/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 65 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	: 13
(ख) निर्धारित वेतन	: 139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: 68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: 65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 4203/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 64294/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: -
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: -

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 12/11/18

संख्या 1581 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2146 / 04-05

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
- श्री रमेश चन्द्र शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 57, सेक्टर-2, चिरगांव, गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

शिव बहादुर
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय - मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5066 / 12-13

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र भूषण त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र भूषण त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4809 दिनांक 11.12.2013
(ग) जन्मतिथि	:	01.06.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	-
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	-
(क) सेवानिवृत्त तिथि	:	31.05.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6138/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2455/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3683/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2455/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65045/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1811 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5066 / 12-13

दिनांक: 12/1/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम फैजाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, सुल्तानपुर को सेवापुरितका मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
4. श्री वीरेन्द्र भूषण त्रिपाठी, से०नि० अवर अभियन्ता, 698, नाका, गुजफरा फैजाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-
 पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छत्र तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6578/16-17 दिनांक:
 मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 फिरोजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 302 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री भानु प्रताप कटारा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री भानु प्रताप कटारा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5655 दिनांक 22.07.2016
(ग) जन्मतिथि	:	06.08.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुशीला कटारा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	15600-39100 ग्रे० पे 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे० पे 6600
(घ) वेतन	:	36230/-
(ङ) मूल पेंशन	:	18115/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7246/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10869/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	18115/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10869/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	93800/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	46900 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	46900 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7246 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	39654 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	46900 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	28140 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/188/20000.200 दिनांक: 12/11/18
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, फिरोजाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, शिकोहाबाद।
4. श्री भानु प्रताप कटारा, सी०नि० अवर अभियन्ता, 1930, शंकरपुरी शिकोहाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-
 पंजीकृत-

लेखाधिकारी, पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2116 / 04-05

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अहमद अली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अहमद अली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 2212 दिनांक 28.05.2005
(ग) जन्मतिथि	: 06.03.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती तौहीद बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 01.07.1949
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 31.03.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: 16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: (37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
(घ) वेतन	: 20000/-
(ङ) मूल पेंशन	: 7087/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 2834/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 4253/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: -
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 4463/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 64 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 1824 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	: 13
(ख) निर्धारित वेतन	: 139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: 67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: 65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 2834/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 64609/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: -
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: -

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2116 / 04-05 दिनांक: 12/1/18
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य महाप्रबन्धक(नियोजन)/नियोजन स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. श्री अहमद अली, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 345 निकट चौपाल मेवातिया नशदी घर के सामने कस्बा गुलावटी, बुलन्दशहर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दस्तावेज (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5154/13-14

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मुहम्मद रफीक, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मुहम्मद रफीक, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4878 दिनांक 13.05.2013
(ग) जन्मतिथि	:	20.03.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती अजरा बानो
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	17.01.1956
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(9300-34800 ग्रे०पी० 6600)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रे०पी० 6600)
(घ) वेतन	:	33130/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16565/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6626/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9939/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	16565/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9939/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6626/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37224/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	43850/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5154/13-14
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 17/1/18

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत -
 पंजीकृत -

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री मुहम्मद रफीक, से०नि० कार्यालय सहायक-प्रथम, म०न० 529, के०ए०/284, मतीन पुरवा, खुर्रमनगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2071/04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री शिव नारायण बन्सल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री शिव नारायण बन्सल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 5550 दिनांक 10.03.2016
(ग) जन्मतिथि	: 05.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती मीरा बंसल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 01.06.1950
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 31.07.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: (16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: (37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	: 20000 /-
(ङ) मूल पेंशन	: 6590 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 2636 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 3954 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	: -
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 4268 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 62 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	: 13
(ख) निर्धारित वेतन	: 139100 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 69550 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: 65335 /-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: 65550 /-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 65550 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 2636 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 62914 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	: -
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 41730 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: -

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2071/04-05
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 13/1/18

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
- श्री शिव नारायण बन्सल, सं०नि० अवर अभियन्ता, 238, सराय लाल दास मेरठ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1756 / 04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री कृष्ण बिहारी पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री कृष्ण बिहारी पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1850 दिनांक 28.06.2004
(ग) जन्मतिथि	31.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमित्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.01.2004
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 7097/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2838/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 4259/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : -
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4268/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन पैमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : -
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 69550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2838/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 66712/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : -
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1756 / 04-05

दिनांक: 13/1/18

प्रतिप्लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम फैजाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, फैजाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
4. श्री कृष्ण बिहारी पाण्डेय, से०भि० अवर अभियन्ता, ग्राम-अरमारूपीपुर, पोस्ट-गौहला, जिला-फैजाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-
 पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5255 / 13-14

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री विक्रम सिंह यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री विक्रम सिंह यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	4993 दिनांक 06.12.2013
(ग) जन्मतिथि	10.09.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	31.12.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.09.2012
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 9300-34800
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-34800
 (घ) वेतन : 33130/-
 (ङ) मूल पेंशन : 16240/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : -
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 16240/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 16240/- दि० 10.09.2017 तक
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 9744/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 9
 (ख) निर्धारित वेतन : 87700/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 43850/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : -
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 43850/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : -
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 43850/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 43850/- दि० 10.09.2019 तक
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 26310/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5255 / 13-14
 प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 13/11/18

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
 पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
3. श्री विक्रम सिंह यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, नियर पुलिस लाइन मटिहा रोड ग्राम चकसता बुद्धीनपुर(अम्बेजीपुरम) रायबरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6699 / 16-17

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 बिजनौर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री दिनेश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री दिनेश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 5787 दिनांक 22.03.2017
(ग) जन्मतिथि	: 01.01.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती सुमन शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 01.12.1961
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि	: 31.12.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: (9300-34800 ग्रे०पे० 4800)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: (9300-34800 ग्रे०पे० 4800)
(घ) वेतन	: 21890/-
(ङ) मूल पेंशन	: 10625/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 4250/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 6375/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: 10625/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 6375/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	: 8
(ख) निर्धारित वेतन	: 56900/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 28450/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: -
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 28450/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 4250/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 24200/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: 28450/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 17070/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: -

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 13/1/18

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6699 / 16-17

प्रतिसिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम धामपुर, जिला बिजनौर को सेवापुरितका मूलरूप में सलग्न कर प्रेषित।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।
- श्री दिनेश कुमार शर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, मौ० रानीबाग कालोनी, धामपुर, जिला-बिजनौर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-
 पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6348/15-16

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मिर्जापुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती धर्मवती गुप्ता पत्नी स्व० कन्ही लाल गुप्ता, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती धर्मवती गुप्ता पत्नी स्व० कन्ही लाल गुप्ता, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 5406 दिनांक 24.07.2015
(ग) जन्मतिथि	: लागू नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती धर्मवती गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: 01.04.1958
2.

(क) मृत्यु तिथि	: 25.02.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: (15600-39100 ग्रे०पे० 6600)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: (15600-39100 ग्रे०पे० 6600)
(घ) वेतन	: 33130/-
(ङ) मूल पेंशन	: 16565/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: 16565/- दि० 04.02.2020 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 9939/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	: 11
(ख) निर्धारित वेतन	: 85800/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 42900/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: -
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: -
(ङ) राशिकृत पेंशन	: -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: 42900/- दि० 04.02.2023 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 25740/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6348/15-16

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मिर्जापुर।
3. श्रीमती धर्मवती गुप्ता पत्नी स्व० कन्ही लाल गुप्ता से०नि० अवर अभियन्ता, 111, गोसाईयान, जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4976/12-13

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 गजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री धर्मवीर शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री धर्मवीर शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 4685 दिनांक 18.07.2012
(ग) जन्मतिथि	: 25.12.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती माधुरी शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त तिथि	: 31.12.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: (16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: (37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	: 20000/-
(ङ) मूल पेंशन	: 7259/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 2903/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 4356/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: -
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 4365/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	: 13
(ख) निर्धारित वेतन	: 139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: -
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 2903/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 66647/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: -
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: -

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 13/11/18

संख्या 1855 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4976/12-13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
- श्री धर्मवीर शर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, हाजी-20, नेहरू नगर, गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२०, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4888 / 11-12 दिनांक:
 मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रमोद नारायण अवस्थी, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रमोद नारायण अवस्थी, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4604 दिनांक-23.03.2012
(ग) जन्मतिथि	:	12.02.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	—
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	—
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	29.02.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	—
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	34230/-
(ङ) मूल पेंशन	:	17115/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6846/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10269/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	—
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	—
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० — दिनांक — द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	—
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	—
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6846/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	38304/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	—
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	—
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	—

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या 1470 / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4888 / 11-12
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 14/11/18 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक इकाई(पेंशन सेल), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री प्रमोद नारायण अवस्थी, कार्यालय अधीक्षक-प्रथम (से०नि०) पता-551 क/425/11, मधुबन नगर, आलमबाग, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हड्डिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठ तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4524/09-10

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रघुराज सिंह कुशवाहा, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रघुराज सिंह कुशवाहा, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4136 दिनांक 12.03.2010
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती ऊषा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	लागू नहीं
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रे०पे० 5400)
(घ) वेतन	:	33780/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15165/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6066/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9099/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9099/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6066/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	37784/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

✓

संख्या 1062 /मु०अभि०(हाडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4524/09-10

दिनांक: 14/11/18

लेखाधिकारी पेंशन (हाडिल)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रशासनिक अधिकारी (मु०), कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हा०), शक्ति भवन विस्तार को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. श्री रघुराज सिंह कुशवाहा, से०नि० कार्यालय सहायक-प्रथम, 417/250, निवाजगंज, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

राय इन्द्रादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छत्र तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4909/12-13 दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिलर कोषागार,

मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 4909 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जगदीश प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जगदीश प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4630 दिनांक 07.05.2012
(ग) जन्मतिथि	:	12.01.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विमलेश
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	15600-39100 ग्रे०पे० 5400
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	25720/-
(ङ) मूल पेंशन	:	12860/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5144/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	7716/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	12860/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	7716/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	10
(ख) निर्धारित वेतन	:	67000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	33500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5144/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	28356/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	33500/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20100/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या 1063 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4909/12-13

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 14/11/18 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, सहारनपुर, उ०प्र०।
3. श्री जगदीश प्रसाद, अवर अभियन्ता (से०नि०) पता-म०न० बी-82 ब्रजेश नगर, पेपर मिल रोड, सहारनपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छत्र तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2388/05-06 दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

बदायूँ

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 2388 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री खालिद नोमान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री खालिद नोमान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2492 दिनांक 27.12.2005
(ग) जन्मतिथि	:	01.04.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रिहना शमीम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.04
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4413 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1765 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2648 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	2730 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	1,35,000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	66455 /-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 /-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	66455 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2362 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज़ान न लिया जाये	:	64093 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2388/05-06
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बदायूँ।
3. श्री खालिद नोमान, सं०नि० अवर अभियन्ता, दीपा सराय चौक, सम्भल।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

दिनांक: 14/11/18 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

1865
 14/11/18
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 लेखाधिकारी (पेंशन)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4337 / 09-10

दिनांक:

जीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विष्णु दत्त मिश्रा, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विष्णु दत्त मिश्रा, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3947 दिनांक 08.07.2009
(ग) जन्मतिथि	:	08.12.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती करुणा देवी मिश्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2008
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	30560/-
(ङ) मूल पेंशन	:	14165/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5666/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8499/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	8499/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	80200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5666/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	34434/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24060/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 14/11/10

संख्या/867/मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4337 / 09-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-कानपुर।
3. श्री विष्णु दत्त मिश्रा, से०नि० संगणक, म०न०-164, रतनपुर, पनकी कानपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मुख्य लेखाधिकारी पेंशन)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मु०अ अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4431 / 09-10

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री चुन्नी प्रसाद अवस्थी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री चुन्नी प्रसाद अवस्थी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	4036 दिनांक 01.12.2009
(ग) जन्मतिथि	10.04.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरस्वती अवस्थी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि : 30.04.2009
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : (8550-13500)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (9300-34800 ग्रे०पे० 5400)
 (घ) वेतन : 31680 /-
 (ङ) मूल पेंशन : 15560 /-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 6224 /-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 9336 /-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : -
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 9336 /-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 9
 (ख) निर्धारित वेतन : 82600 /-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 41300 /-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : -
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 41300 /-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 6224 /-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 35076 /-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : -
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 24780 /-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

/

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 14/11/18

संख्या 1068 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4431 / 09-10
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री चुन्नी प्रसाद अवस्थी, सं०नि० अवर अभियन्ता, 551क/425/05बी मधुवन नगर लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(मदन विहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० (हाइडिल)
 लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1868/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4431/09-10

दिनांक: 14.11.2018

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री चुन्नी प्रसाद अवस्थी, सेवानिवृत्त कार्या० सहा०-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री चुन्नी प्रसाद अवस्थी, सेवानिवृत्त कार्या० सहा०-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4036 दिनांक 01.12.2009
(ग) जन्मतिथि	:	10.04.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरस्वती अवस्थी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि	:	30.04.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(8550-13500)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रे०पे० 5400)
(घ) वेतन	:	31680/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15560/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6224/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9336/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9336/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	82600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	41300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	41300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6224/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	35076/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24780/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1868/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4431/09-10
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 14.11.2018

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री चुन्नी प्रसाद अवस्थी, से०नि० कार्या० सहा०-प्रथम, 551क/425/05वीं मधुवन नगर लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(Signature)
14/11/18

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/ 188 / 2000-01

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
मिरजापुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	213 दिनांक 21.09.2000
(ग) जन्मतिथि	:	15.12.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुशीला देवी पाठक
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	30.06.1949
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6853/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2741/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4112/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	.
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	पुनर्स्थापित
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	67500/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

/

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/ 188 / 2000-01
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक 16/11/18 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मिर्जापुर।
3. श्री ओम प्रकाश पाठक, से०नि० अवर अभियन्ता, कृष्णापुरी कालोनी, लेबर कालोनी के सामने जंगी रोड, मीरजापुर शहर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(महोदय, जिला कोषागार)
 14/11/18
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5035/12-13

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री शिव शंकर लाल, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री शिव शंकर लाल, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	4759 दिनांक 08.11.2012
(ग) जन्मतिथि	20.06.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सीता अग्निहोत्री
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.02.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.06.2012
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : -
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रेड पे० 6600
 (घ) वेतन : 26780 + 6600 = 33380/-
 (ङ) मूल पेंशन : 16690/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 6676/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10014/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : 16690/- दि० 20.06.2017 तक
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10014/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 9
 (ख) निर्धारित वेतन : 87700/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 43850/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : -
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 43850/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 6676/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 37174/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : 43850/- दि० 20.06.2019 तक
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 26310/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 14/11/18

संख्या 107/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5035/12-13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन सेल), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री शिवशंकर लाल, से०नि० कार्यालय सहायक-प्रथम, ए-1399/5, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(भवत विहारी वर्मा)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छत तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/687/01-02 दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री धरनीधर गंगवार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री धरनीधर गंगवार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	713 दिनांक 26.02.2002
(ग) जन्मतिथि	:	31.01.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुसुम गंगवार
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे० पे० 8900)
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6529/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2611/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3918/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65335/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2611/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62939/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

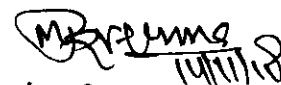
भवदीय,

संख्या 1072 / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/687/01-02
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 14/11/18 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गोविन्द नगर, कानपुर।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, कानपुर को सेवा पुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- श्री धरनीधर गंगवार, अवर अभियन्ता, 653 बी-ब्लाक, पनकी कानपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।



(अनंद विश्वरी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1957 / 04-05

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री पृथ्वी नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री पृथ्वी नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2029 दिनांक 03.12.2004
(ग) जन्मतिथि	:	03.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-6700 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7568/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3027/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4541/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3027/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनरस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66523/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या 1801 / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1957 / 04-05
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 14/11/18 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

- पंजीकृत-
- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 - श्री पृथ्वी नाथ श्रीवास्तव सं०नि० अवर अभियन्ता, A 937/8 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
 - सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

14/11/18

कायालय मुख्य अभियन्ता (हाइडेल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडेल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 328 / 2000-01 दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, तकनीकी सहायक सेवानिवृत्त की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, तकनीकी सहायक, सेवानिवृत्त की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	354 दिनांक 07.02.2001
(ग) जन्मतिथि	:	07.10.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रेमा वर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.10.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	०8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(15600-39100 ग्रेड पे 5400)
(घ) वेतन	:	11025/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4964/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1985/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	2979/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3120/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	67200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	33600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	32073/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	32073/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	1985/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	30088/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20160/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

1802
 संख्या / मु०अभि०(हाइडेल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 328 / 2000-01 दिनांक: 4/11/18
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता (सिविल), विद्युत जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम, अलीगंज, लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक, मकान सं०-194, शेखपुरा कालोनी, अलीगंज, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-
 पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडेल)

कायालय मुख्य अभियन्ता (हाइडेल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छत्र तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 761 / 02-03

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अवधेश कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अवधेश कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	786 दिनांक 09.05.2002
(ग) जन्मतिथि	:	15.07.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती ममता गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7389/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2955/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4434/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	7389/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68496/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68496/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2955/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65541/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 761 / 02-03
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 14/11/18 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-

पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम बरेली।
3. श्री अवधेश कुमार गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, 441, छोटी बवनपुरी, बरेली।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

2018 11 14

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

हाइडिल

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: E2E/E2B, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 824 / 02-03

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	855 दिनांक 19.06.2002
(ग) जन्मतिथि	02.07.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कृष्ण कान्ती गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.08.1949
 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2001
 - (ख) तत्समय लागू वेतनमान : (16400-20000)
 - (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (37400-67000, ग्रेड पे. 8900)
 - (घ) वेतन : 20000/-
 - (ङ) मूल पेंशन : 7503/-
 - (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 3001/-
 - (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 4502/-
 - (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 - (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4560/-
 - (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-
 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	3001/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	66549/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
 5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या 1086 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 824 / 02-03
 प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 14/11/18 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
 पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गोविन्द नगर, कानपुर।
3. श्री रामचन्द्र गुप्ता सं० नि० अवर अभियन्ता, 37 E, ब्लाक, पनकी, कानपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राय बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२०, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2394 / 05-06 दिनांक:
 मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हरीश चन्द्र द्विवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हरीश चन्द्र द्विवेदी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 2600 दिनांक 07.01.06
(ग) जन्मतिथि	: 15.01.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती मालती द्विवेदी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 31.01.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: 16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	: 37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	: 20000 /-
(ङ) मूल पेंशन	: 7064 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 2825 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 4239 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: लागू नहीं /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 4268 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 66

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	: 13
(ख) निर्धारित वेतन	: 139100 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 69550 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: -
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 69550 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 2825 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 66725 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: -
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 41730 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: -

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2394 / 05-06
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 14/11/18
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

- पंजीकृत- 1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 पंजीकृत- 2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, 132 के०वी० उपकेन्द्र, मोहददीपुर, गोरखपुर को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
 पंजीकृत- 3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
 4. श्री हरीश चन्द्र द्विवेदी, से०नि० अवर अभियन्ता, 102 ए रामनगर कालोनी, पोस्ट-गोरखनाथ, गोरखपुर।
 5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(हस्ताक्षर)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6964/92-93(टी०सी०)

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रामपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अब्दुल हमीद, सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अब्दुल हमीद, सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	9192 दिनांक 22.09.1993
(ग) जन्मतिथि	01.01.1935
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बदरुन निशा बानो
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि : 30.06.1993
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 1850-2930
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (9300-34800 ग्रे०पे० 4200)
 (घ) वेतन : 2555/-
 (ङ) मूल पेंशन : 1389/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : लागू नहीं
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 1389/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 568/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : -
3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 6(बी)
 (ख) निर्धारित वेतन : 52400/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 26200/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : लागू नहीं
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 26200/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : पुनर्स्थापित
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 26200/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 15720/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : 5240/-
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 14/11/18

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6964/92-93(टी०सी०)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रामपुर।
3. श्री अब्दुल हमीद, से०नि० मुख्य लिपिक, निवासी: 211, लाल मस्जिद, रामपुर (उ०प्र०)।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

14/11/18

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 1090/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/642/01-02

दिनांक: 14/11/18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फिरोजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री चन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री चन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिदर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	670 दिनांक 18.01.2002
(ग) जन्मतिथि	:	15.07.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती गिरजारानी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.01.1947
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	17750/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5549/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2219/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3330/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3488/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	64432/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2219/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63331/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या 1090/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/642/01-02
प्रतिप्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 14/11/18 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप-मुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेसा खण्ड, फिरोजाबाद।
- श्री चन्द्र पाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी प्रेम कुटी, एम०पी० रोड, नई बस्ती, दुण्डला, फिरोजाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२०, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4182/08-09 दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सीतापुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री वंशीधर वैश्य, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री वंशीधर वैश्य, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	:	3557 दिनांक 29.05.2008
(ग) जन्मतिथि	:	2307.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती गोदावरी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8878/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3551/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5327/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5670/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65335/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3551/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	61999/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 4182/08-09
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
दिनांक: 14/11/18

पंजीकृत-
पंजीकृत-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सीतापुर।
- श्री वंशीधर वैश्य, अवर अभियन्ता (से०नि०), निवासी मो० बाजार गंज, नियर, पानी की बड़ी टंकी, मोहम्मदी, लखीमपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2531/06-07 दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2743 दिनांक 01.05.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती किरन श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.55
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10547/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4218/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6329/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6401/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4218/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65332/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या 1894 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2531/06-07 दिनांक: 14/11/18
 प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव से०अभि० अवर अभियन्ता, सी-20, विनय नगर, कृष्णानगर, लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2614 / 06-07

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राजेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2808 दिनांक 14.06.2006
(ग) जन्मतिथि	:	05.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राज कुमारी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	07.07.1949
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000, ग्रेड पे. 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6853/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2741/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4112/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4170/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2741/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या 1095 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2614 / 06-07
प्रतिक्षिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 14/11/18 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कानपुर।
3. श्री राजेन्द्र सिंह से०नि० अवर अभियन्ता, 503पी ब्लॉक, पनकी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/826/99-2000

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती लीला पाण्डेय पत्नी स्व० महेश प्रसाद पाण्डेय, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती लीला पाण्डेय पत्नी स्व० महेश प्रसाद पाण्डेय, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
(क) पेंशन का प्रकार : पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 931 दिनांक 03.08.1999
(ग) जन्मतिथि : लागू नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती लीला पाण्डेय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : 01.01.1954
(क) मृत्यु तिथि : 15.11.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : -
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : -
(घ) वेतन : 18110/-
(ङ) मूल पेंशन : 5460/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3878/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : लागू नहीं
दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
(क) पैमेटिक्स : 13
(ख) निर्धारित वेतन : 135000/-
3. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन : लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
4. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/826/99-2000
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 5/11/18

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

- ✓1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
3. श्रीमती लीला पाण्डेय पत्नी स्व० महेश प्रसाद पाण्डेय, सं०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-रघुपुर, पोस्ट-खानपुर, भगतपट्टी, आजमगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छत तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6584 / 16-17

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री कर्मव्रत सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री कर्मव्रत सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5663 दिनांक 29.07.2016
(ग) जन्मतिथि	:	08.07.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरिता सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.08.1963
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(9300-34800 ग्रेड पे० 6600)
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रेड पे० 6600)
(घ) वेतन	:	36920/-
(ङ) मूल पेंशन	:	18460/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7384/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	11076/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	18460/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	11076/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	95800/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	47900/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	47900/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7384/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	40516/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	47900/-दिनांक 08.07.2020 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	28740/-दिनांक 09.07.2020 से अग्रेतर
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6584 / 16-17
 प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 15/11/18
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, फैजाबाद को सेवा पुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।

4. श्री कर्मव्रत सक्सेना, सं०नि० अवर अभियन्ता, म०नं० 7/2/164 C-2, एकतापुरम जब्ती वजीरगंज, फैजाबाद।

5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-
 पंजीकृत-

(मदन प्रियंका)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4000/07-08

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती निर्मल श्रीवास्तव पत्नी स्व० हरि बहादुर से०नि० अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती निर्मल श्रीवास्तव पत्नी स्व० हरि बहादुर से०नि० अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3336 दिनांक 13.08.2007
(ग) जन्मतिथि	08.07.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती निर्मल श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2005
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
 (घ) वेतन : 20000 /-
 (ङ) मूल पेंशन : 10230 /-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 4092 /-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 6138 /-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 10230 /-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 6255 /-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100 /-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550 /-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : -
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : -
 (ङ) राशिकृत पेंशन : -
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : -
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 69550 /-
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730 /-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4000/07-08

दिनांक: 15/11/18

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्रीमती निर्मल श्रीवास्तव पत्नी स्व० हरि बहादुर, से०नि० अवर अभियन्ता, ए-334 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6829/17-18

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5916 दिनांक 09.10.2017
(ग) जन्मतिथि	:	15.11.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुनीता शुक्ला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	21.10.1957
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(9300-34800 ग्रे०पे० 6600)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रे०पे० 6600)
(घ) वेतन	:	36220 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	18110 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	7244 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10866 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	18110 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	7244 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	95800 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	47900 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	47900 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	7244 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	40656 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	47900 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	28740 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1900 /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6829/17-18

दिनांक: 13/11/17

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, सुल्तानपुर को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, सं०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 610/349, केशव नगर, निकट सुरभि स्कूल, सीतापुर रोड, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राज कंडर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कायालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4340/09-10 दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
वाराणसी।

विषय:-कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जंगी लाल यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जंगी लाल यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3953 दिनांक 15.07.2009
(ग) जन्मतिथि	:	25.01.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरिता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि	:	31.01.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	60340/-
(ङ) मूल पेंशन	:	12225/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4890/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	7335/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	12225/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	7335/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	156600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	78300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	78300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	9730/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	68570/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	78300

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	46980/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	अंकित नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या 1910 / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4340/09-10 दिनांक: 15/11/10
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
3. श्री जंगी लाल यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता, निवासी ग्राम-हरिहापुर, पो०-करघना, जिला-वाराणसी।
4. राशिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कायालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2744 / 06-07

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अमरोहा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री शिशुपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री शिशुपाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 2950 दिनांक 02.09.2006
(ग) जन्मतिथि	: 01.01.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती सावित्री देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.12.2004
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (37400-67000 ग्रेड पे 8900 से)
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 9719/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 3887/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 5832/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : -
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 6109/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 63 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेंमैटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 66389/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 66389/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 3887/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 62502/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : -
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

1912
 संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2744 / 06-07 दिनांक: 5/11/18 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, बिजनौर।
4. श्री शिशुपाल सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी मंडावर रोड, गरत विहार कालोनी, नीयर बड़ा मंदिर, बिजनौर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

राज बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6716/16-17

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बिजनौर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जगदीश सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जगदीश सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5786 दिनांक 22.03.2017
(ग) जन्मतिथि	:	10.12.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती यशोदा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.10.1959
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	28370/-
(ङ) मूल पेंशन	:	14185/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5674/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8511/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	14185/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	8511/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	73400/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	36700/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	36700/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5674/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	31026/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	36700/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	22020/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6716/16-17 दिनांक: 15/11/18

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम धामपुर, बिजनौर को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर।
4. श्री जगदीश सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम पुराना धामपुर डा० धमपुर बिजनौर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छत्ता तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/751/02-03

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 गाजीपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री बजरंगी सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री बजरंगी सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	777 दिनांक 29.04.2002
(ग) जन्मतिथि	:	01.11.43
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शारदा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.11.1943
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि	:	31.10.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7064/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2825/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4239/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4268/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2825/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66725/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/751/02-03
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 15/1/18 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजीपुर।
- श्री बजरंगी सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, आनन्द विहार कालोनी, गाजीपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

रक्षक

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२०, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1156/03-04 दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
सम्भल।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1230 दिनांक 24.04.2003
(ग) जन्मतिथि	:	05.07.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरोज शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7229/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2891/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4338/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4463/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65530/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2891/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65606/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 1156/03-04

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चन्दौसी।

3. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, अवर अभियन्ता (से०नि०), निवासी निकट ब्लॉक स्टैण्ड, बहजोई, मुसदाबाद।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

दिनांक: 11/11/18

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 215/95-96

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व० राम बहादुर सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व० राम बहादुर सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ संख्या एवं दिनांक	291 दिनांक 11.09.1995
(ग) जन्मतिथि	16.05.1991
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विद्या देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	16.05.1951
2.

(क) मृत्यु तिथि	21.10.1991
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	3400-4750
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(15600-39100 ग्रे०पे० 6600)
(घ) वेतन	3750/-
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	633/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 1814 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	11
(ख) निर्धारित वेतन	74000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	37000
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	-
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	22200/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 215/95-96

दिनांक:

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, फैजाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में सलमन कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।
4. श्रीमती विद्या देवी स्व० राम बहादुर सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, आशिर्वाद भवन बारा पत्थर, शास्त्री नगर, फैजाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-
 पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 1937 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4448 / 09-10

दिनांक: 15.11.18

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्रकाश नारायण सिंह, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्रकाश नारायण सिंह, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4053 दिनांक 07.12.2009
(ग) जन्मतिथि	:	02.02.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रमिला सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	28.02.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	26280+5400=31680 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	15840 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6224 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9616 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	15840 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9504 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	82600 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	41300 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	41300 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6224 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	35076 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	41300 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24780 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1937 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4448 / 09-10

दिनांक: 15.11.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री प्रकाश नारायण सिंह, से०नि० कार्यालय सहायक-प्रथम, एम०न० 356/218/356 शिवाजी पुरम आलम नगर रोड, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 1938/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2165/04-05

दिनांक: 15.11.18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मीरा गुप्ता पत्नी स्व० हरिशंकर गुप्ता, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती मीरा गुप्ता पत्नी स्व० हरिशंकर गुप्ता, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2358 दिनांक 05.07.2005
(ग) जन्मतिथि	:	01.02.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मीरा गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
(क) मृत्यु तिथि	:	12.01.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(16400-20000)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	10000/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	61 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1938/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2165/04-05 दिनांक: 15.11.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के०वी० उपकेन्द्र खण्ड, मोहददीपुर, गोरखपुर-273008 को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
4. श्रीमती मीरा गुप्ता पत्नी स्व० हरिशंकर गुप्ता, सं० 135/यू टावर के सामने रामनगर कालोनी गोरखनाथ गोरखपुर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1941/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/827/02-03

दिनांक: 16.11.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती सुरैया खातून पत्नी स्व० रेफाक अहमद सिद्दीकी, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती सुरैया खातून पत्नी स्व० रेफाक अहमद सिद्दीकी, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	885 दिनांक 12.07.2002
(ग) जन्मतिथि	:	01.11.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुरैया खातून
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) मृत्यु तिथि	:	31.10.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(34400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6365/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4268/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	60 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 1814 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1941/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/827/02-03

दिनांक: 16.11.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
3. श्रीमती सुरैया खातून पत्नी स्व० रेफाक अहमद सिद्दीकी, मकान न० 48 गुलामकि पुरा पोस्ट सदर, आजमगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1942/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2587/06-07

दिनांक: 16.11.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 वाराणसी।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव पत्नी स्व० आम प्रकाश, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव पत्नी स्व० ओम प्रकाश, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2902 दिनांक 29.07.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.07.1948
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	लागू नहीं
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	लागू नहीं
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	लागू नहीं
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7113/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुरार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1942/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2587/06-07

दिनांक: 16.11.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
3. श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव पत्नी स्व० ओम प्रकाश, से०नि० अवर अभियन्ता, स 9/36 बी-01, केदारनगर कालोनी, वज्ररड्डी वाराणसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1943/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1697/04-05

दिनांक: 16.11.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मिर्जा असगर बेग, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मिर्जा असगर बेग, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1794 दिनांक 20.05.2004
(ग) जन्मतिथि	14.02.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कनीज फातिमा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	29.02.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	(16400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	6333/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2533/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3800/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	3878/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2533/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	67017/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1943/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1697/04-05
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 16.11.2018

पंजीकृत-
 पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, केस्को कानपुर।
3. श्री मिर्जा असगर बेग, से०नि० अवर अभियन्ता, प्लॉट न०-5 राम बिहार रोड, रोशन नगर, रावतपुर कानपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1943/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1697/04-05
 दिनांक: 16.11.2018

कायालय मुख्य अभियन्ता (हाइडेल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1944 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1387 / 03-04 दिनांक: 16.11.2018

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:-कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रामबरन गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रामबरन गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1476 दिनांक 21.10.2003
(ग) जन्मतिथि	:	03.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7503/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3001/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4502/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेंमैटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3001/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66549/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

महोदय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1944 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1387 / 03-04 दिनांक: 16.11.2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री रामबरन गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता, सी-2474, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 1947/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2211/04-05

दिनांक: 16.11.18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री घनश्याम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री घनश्याम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2400 दिनांक 28.07.2005
(ग) जन्मतिथि	26.04.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रमा कांडपाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.04.2005
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रे०पे० 8900
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 6788/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2715/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 4073/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : -
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4073/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : -
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 69550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2715/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 66835/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : -
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

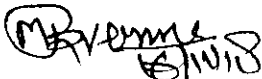
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1947/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2211/04-05 दिनांक: 16.11.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, के०के० कानपुर।
3. श्री घनश्याम, सं०नि० अवर अभियन्ता, 11/337, सूटर गंज, ग्वाल टोली कानपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-



(महान् विद्युत वरिष्ठ)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 1948/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1607/03-04

दिनांक: 16.11.18

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मो० अफजाल सिद्दीकी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मो० अफजाल सिद्दीकी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	1743 दिनांक 26.04.2004
(ग) जन्मतिथि	01.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रूखसाना खातून
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.05.1953
2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.06.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	7438/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	2975/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	4463/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4463/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2975/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	66575/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

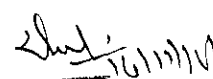
भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1948/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1607/03-04 दिनांक: 16.11.18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री मो० अफजाल सिद्दीकी, से०नि० अवर अभियन्ता, 130 राजीव नगर, निकट पानीगांव, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-


 राब नन्दि
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: E2E/E2B, छठ तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या—1949/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4796/11-12

दिनांक: 16.11.2018

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:— कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री महेश प्रसाद सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक—प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री महेश प्रसाद सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक—प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :—

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	4517 दिनांक 14.09.2011
(ग) जन्मतिथि	25.07.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मुन्नी श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2011
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : लागू नहीं
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : (9300—34800 ग्रे०पे० 5400)
 (घ) वेतन : 35850 /—
 (ङ) मूल पेंशन : 17620 /—
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 7048 /—
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10572 /—
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10572 /—
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० — दिनांक — द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:—
 (क) पेमेंटिक्स : 09
 (ख) निर्धारित वेतन : 93000 /—
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:—
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 46500 /—
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : —
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : —
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 46500 /—
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 7048 /—
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 39452 /—
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 46500 /— दि० 25.09.2016 तक
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 27900 /—
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : —
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4796/11-12 दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री महेश प्रसाद से०लि० कार्यालय सहायक—प्रथम, 219 बी, रवीन्द्र पल्ली, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत—
पंजीकृत—

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या-1950 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4829 / 11-12

दिनांक: 16.11.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम पलट दुबे, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम पलट दुबे, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4544 दिनांक 04.11.2011
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती तारा दुबे
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.08.1951
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	लागू नहीं
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	:	58870 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	25645 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10258 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15387 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	25645 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15387 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	57 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	152000 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	76000 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	76000 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10258 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65742 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	45600 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4829 / 11-12 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
4. श्री राम पलट दुबे, से०नि० अवर अभियन्ता, रघुनाथपुर पो०आ० खरगपुर, जिला आजमगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4258 / 08-09

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
फिरोजाबाद।

सन्दर्भ:- पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र संख्या 1632 दिनांक 31.10.2018 की समस्त प्रतियाँ निरस्त करते हुए।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री गंगा सरन श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री गंगा सरन श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3851 दिनांक 06.10.2008
(ग) जन्मतिथि	04.08.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शकुन्तला देवी श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.08.2006
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : (9300-34800 ग्रे०पे० 5400)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (9300-34800 ग्रे०पे० 5400)
 (घ) वेतन : 22340 + 5400 = 27740 / -
 (ङ) मूल पेंशन : 7575 / -
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 3030 / -
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 4545 / -
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : -
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4545 / -
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पैमेटिक्स : 9
 (ख) निर्धारित वेतन : 71300 / -
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 35650 / -
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550 / -
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 35650 / -
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 4778 / -
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 30872 / -
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : -
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 21390 / -
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : -
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

महोदय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4258 / 08-09
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 16/11/18

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, फिरोजाबाद।
3. श्री गंगा सरन श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, मी० जैन नगर खेडा चन्द्रर शेखर स्कूल के पास, फिरोजाबाद।
4. सचिव उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

सह सहायक
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठ तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2547 / 06-07

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 बस्ती।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री उमेश चन्द श्रीवास्तव सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री उमेश चन्द श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2755 दिनांक 12.05.2006
(ग) जन्मतिथि	:	25.12.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मंजू श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.05.1963
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	31.12.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(16400-20000)
(ग) वेतनमान / वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे 8900)
(घ) वेतन	:	20000 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	10718 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4287 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6431 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	10718
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6548 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4287 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65263 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

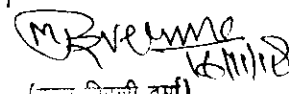
भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2547 / 06-07
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 16/11/18

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बस्ती।
3. श्री उमेश चन्द श्रीवास्तव से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी चन्द निकेतन, विशुनपुरा, गांधी नगर, बस्ती।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।



(रतन लीझरी वर्मा)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उपस्थित मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

पंजीकृत-
पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4540/10-11

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
बस्ती।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4155 दिनांक 12.04.2010
(ग) जन्मतिथि	:	15.11.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती गायत्री श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	लागू नहीं
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रे०पे० 5400)
(घ) वेतन	:	30920/-
(ङ) मूल पेंशन	:	13440/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5376/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8064/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	8064/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	80200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	40100/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40100/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5376/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	34734/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24060/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

/

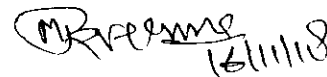
संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4540/10-11

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बस्ती।
3. श्री आम प्रकाश श्रीवास्तव से०नि० अवर अभियन्ता, मु० मालवीय रोड बैरिहवा, पो० गाधी नगर, बस्ती।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 जनरल मु० अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

पंजीकृत -
पंजीकृत -

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4391/09-10

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती अंजली आनन्द पत्नी स्व० राजीव नाथ आनन्द, आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती अंजली आनन्द पत्नी स्व० राजीव नाथ आनन्द, आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	3995 दिनांक 15.10.2009
(ग) जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अंजली आनन्द
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.05.1982
2.

(क) मृत्यु तिथि	28.11.2008
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	लागू नहीं
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	(9300-34800 ग्रेड पे० 4200)
(घ) वेतन	15230/-
(ङ) मूल पेंशन	7615/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	7615/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4569/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 1814 दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	6
(ख) निर्धारित वेतन	40200/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	37000/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	20100/- दिनांक 28.11.2018 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	12060/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (छ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4391/09-10
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 16/11/18

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन सेल), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्रीमती अंजली आनन्द, पत्नी स्व० राजीव नाथ आनन्द, आशुलिपिक, सी-715, इन्दिरा नगर, सेक्टर-6, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

(सचिव निहाली बर्मा)
 मुख्य अभियन्ता (पेंशन)
 मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: E2E/E2B, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1345/03-04 दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

फैजाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री मुन्नी लाल गुप्ता सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री मुन्नी लाल गुप्ता सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1416.दिनांक 03.09.2003
(ग) जन्मतिथि	:	25.12.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शोभा देवी गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	24.10.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400.20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000) (8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7309/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2923/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4386/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4463/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68496/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68496/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2923/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1345/03-04 दिनांक: 16/11/18
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद
3. श्री मुन्नी लाल गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 8/4/20 के नई कालोनी, झारखण्डी, फैजाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मुन्नी लाल गुप्ता)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 जिला कोषागार (पेंशन)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 1965/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1075/02-03

दिनांक: 16.11.18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अश्वनी कुमार अहूजा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अश्वनी कुमार अहूजा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	1146 दिनांक 22.02.2003
(ग) जन्मतिथि	:	10.10.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरोज अहूजा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	12.11.1951
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.10.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	(18400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे0 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	7600/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3040/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4560/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	4560/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3040/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66510/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1965/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1075/02-03

दिनांक: 16.11.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
- श्री अश्वनी कुमार अहूजा, से०नि० अवर अभियन्ता, अपार्टमेंट न० 02152, ए०टी०एस० एडवान्टेडो सोसायटी, इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-


 रा. क. अ. व. र.
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 कोषाधिकारी (पेंशन)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 1966/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/857/02-03

दिनांक: 16.11.18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री शिव कुमार सिंघल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री शिव कुमार सिंघल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	887 दिनांक 15.07.2002
(ग) जन्मतिथि	15.02.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशी सिंघल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18.05.1951
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 28.02.2002
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : (16400-20000)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
 (घ) वेतन : 20000/-
 (ङ) मूल पेंशन : 7600/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 3040/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 4560/-
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : -
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 4560/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : -
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : -
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 69550/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 3040/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 66510/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : -
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

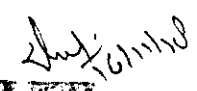
संख्या 1966/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/857/02-03

दिनांक: 16.11.18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ✓ अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
3. श्री शिव कुमार सिंघल, से०नि० अवर अभियन्ता, जे-125, गोविन्द पुरम हापुड़ रोड, गाजियाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-


 सचिव
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या-1967 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2892 / 06-07

दिनांक: 16.11.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
अम्बेडकर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रमाकान्त वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रमाकान्त वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3129 दिनांक 09.01.2007
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शोभा वर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त तिथि	:	30.06.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10719/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4287/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6432/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	10719/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6840/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	66389/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	66389/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4287/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62102/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या-1967 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2892 / 06-07 दिनांक: 16.11.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर।

3. श्री रमाकान्त वर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी जगल माता दीन पो०- पादरी बाजार बाया बिछिया कैम्प, गोरखपुर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

(हस्ताक्षर)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 1968/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2188/04-05

दिनांक: 16.11.18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कुलदीप पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कुलदीप पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 2388 दिनांक 15.07.2005
(ग) जन्मतिथि	: 04.01.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती धर्मशीला पाण्डेय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	: 31.01.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	: (18400-20000)
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	: (37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	: 19550/-
(ङ) मूल पेंशन	: 6089/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	: 2435/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	: 3654/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	: -
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	: 3683/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	: 66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेटिक्स	: 13
(ख) निर्धारित वेतन	: 139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: -
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: -
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 2435/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 67115/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	: -
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1968/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2188/04-05

दिनांक: 16.11.18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद।
- श्री कुलदीप पाण्डेय, से०लि० अवर अभियन्ता, 409-ए/14, बकसी खुर्द, दारागंज इलाहाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-


राज बहादुर
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1969/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6016/13-14

दिनांक: 16.11.2018

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री हरिशरण चौबे, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री हरिशरण चौबे, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	5055 दिनांक 05.02.2014
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विद्यावती चौबे
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	03.07.1958
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	9300-34800 ग्रे0पे0 4800
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे0पे0 4800
(घ) वेतन	:	22520/-
(ङ) मूल पेंशन	:	11260/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	11260/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	8
(ख) निर्धारित वेतन	:	58600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	29300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	23800/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	29300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	29300/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1969/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6016/13-14

दिनांक: 16.11.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उपनिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर लखनऊ को सेवपुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. श्री हरिशरण चौबे, से०नि० कार्यालय सहायक-द्वितीय, 21-स्मार्ट विपेज, विनयनगर कृष्णनगर लखनऊ।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

(हस्ताक्षर)
 राय सजदुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
 लखनऊ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या-1989/मु0अमि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4123/07-08

दिनांक: 17.11.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा पत्नी स्व० जोगेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा पत्नी स्व० जोगेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3480 दिनांक 19.02.2008
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रभा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.03.1953
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	15600-39100 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	34880/-
(ङ) मूल पेंशन	:	17440/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6976/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10464/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6840/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	91100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27330/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या-1989/मु0अमि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4123/07-08

दिनांक: 17.11.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।

3. श्रीमती प्रभा पत्नी स्व० जोगेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता, निवासी 8/35, गणेश भवन सेक्टर 3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

सचिव

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
लखनऊ

कायलय मुख्य अभियन्ता (हाइडेल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या-1990/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2600/06-07 दिनांक: 17.11.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 अलीगढ़।

विषय:-कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जाहद अली सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जाहद अली सेवानिवृत्त अवर अभियन्ताकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2854 दिनांक 04.07.2006
(ग) जन्मतिथि	:	03.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती निशात अख्तर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5415/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2166/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3249/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3488/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	63410/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2166/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63384/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या /मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2600/06-07 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़।
- श्री जाहद अली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता, निवासी विशाल विला 4/272, एफ/अपीर निशा, दोदपुर, अलीगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत

(हस्ताक्षर)
 लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हड्डिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२०, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या-1991/मु०अभि०(हाड्डिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4538/09-10

दिनांक: 17.11.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
एटा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रूप किशोर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रूप किशोर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4150 दिनांक 30.03.2010
(ग) जन्मतिथि	:	03.07.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शारदा देवी शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	02.08.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँडवा वेतन मान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(37400-67000 ग्रे०पे० 8900)
(घ) वेतन	:	51440 +8900 = 60340/-
(ङ) मूल पेंशन	:	30170/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	20148/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	30170
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	18102/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	156600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	78300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	78300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	68278/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	78300
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	46980/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाड्डिल)

संख्या-1991/मु०अभि०(हाड्डिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4538/09-10 दिनांक: 17.11.2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, एटा को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, एटा।
4. श्री रूप किशोर, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी मौ० कृष्णा पुरम गली पी०परा-शान्ती नगर रोड, एटा।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाड्डिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या-1993/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1814/04-05

दिनांक: 17.11.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1917 दिनांक 05.08.2004
(ग) जन्मतिथि	:	27.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बृजराणी वर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	30.12.1944
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	9243/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2653/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6590/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	61 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	64281/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू प्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6000/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	59550/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)-	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

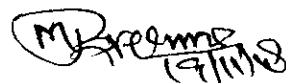
भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या-1993/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1814/04-05 दिनांक: 17.11.2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, शास्त्रीनगरक, गाजियाबाद को सेवा पुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
4. श्री सुरेन्द्र कुमार संवसेना, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी बी-307, पटेल नगर-II, गाजियाबाद
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-


(नाम)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या-1994/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4321/09-10

दिनांक: 17.11.2018

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 आदर्श कोषागार,
 लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम दौर सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम दौर सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	29 दिनांक 18.05.2009
(ग) जन्मतिथि	04.01.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुभावती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	31.01.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छँटवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	(37400-67000 ग्रे० पे० 8900)
(घ) वेतन	45520 + 8900 = 54420 /-
(ङ) मूल पेंशन	26386 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	9352 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	17034 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	16326 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	143300 /-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	71650 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	71650 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	9352 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	62298 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	42990 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या-1994/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4321/09-10 दिनांक: 17.11.2018
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, जनपद-बरौली को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रहीमनगर, लखनऊ।
4. श्री राम दौर से०नि० अवर अभियन्ता, गंगा सरस्वती विहार तक्रोही, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत--
 पंजीकृत--
 पंजीकृत--

(हस्ताक्षर)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या-1995/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4624/10-11

दिनांक: 17.11.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आगरा।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मधु सक्सेना स्व० प्रकाश चन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती मधु सक्सेना स्व० प्रकाश चन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4245 दिनांक 20.10.2010
(ग) जन्मतिथि	:	06.07.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मधु सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.06.1959
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2010/12.09.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँटवा वेतन मान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	(9300-34800 ग्रेड पे 5400)
(घ) वेतन	:	26450 + 5400 = 31850/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15925/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6012/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9913/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	15925/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9555/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	82600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	41300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	41300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	41300/- 05.07.2017 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24780/- 06.07.2017 से
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ख) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

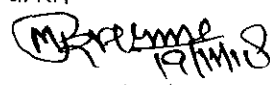
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या-1995/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4624/10-11
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 17.11.2018

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, सिकन्दरा, आगरा को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आगरा।
- श्रीमती मधु सक्सेना पत्नी स्व० प्रकाश चन्द्र सक्सेना, म०न० 94 विजय विहार आबीतया रोड, शाहगंज-आगरा।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।



लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छव तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या-1996/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4870/11-12

दिनांक: 17.11.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विरेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विरेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4583 दिनांक 23.01.2012
(ग) जन्मतिथि	:	04.09.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नही
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नही
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.09.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँटवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	27400 + 5400 = 32800/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16400/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6436/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9964/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नही
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नही
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 11.04.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	85100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	42550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नही
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	42550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6436/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	36114/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नही
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नही
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आधु के अनुसार)	:	लागू नही

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या-1996/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4870/11-12 दिनांक: 17.11.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण परीक्षण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
4. श्री विरेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी परईपुर बाया अहरोला, आजमगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 1998/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5107/12-13

दिनांक: 17.11.18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मीतल प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मीतल प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4840 दिनांक 28.03.2013
(ग) जन्मतिथि	:	15.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवें वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे0 6600
(घ) वेतन	:	27790+6600=34390/-
(ङ) मूल पेंशन	:	17195/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6878/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10317/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6878/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	38272/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1998/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5107/12-13

दिनांक: 17.11.18

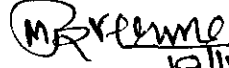
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय, 132 कें0वी0 सब स्टेशन तेलियरगंज निकट आई0ई0आर0टी0 कालेज राजीव नगर, इलाहाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद।
4. श्री मीतल प्रसाद यादव, सं०नि० अवर अभियन्ता, चक सराय तकी छतनाग, झूसी इलाहाबाद।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

पंजीकृत-


17/11/18

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 1998/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6353/15-16

दिनांक: 17.11.18

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम किशोर कश्यप, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम किशोर कश्यप, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5401 दिनांक 16.07.2015
(ग) जन्मतिथि	:	13.04.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती बीना कश्यप
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	11.08.1971
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.04.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवें वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 4200
(घ) वेतन	:	18600+4200=22800/-
(ङ) मूल पेंशन	:	11400/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4560/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6840/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	11400/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6840/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	6
(ख) निर्धारित वेतन	:	59000/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	29500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	18400/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	29500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4560/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	24940/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	29500/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	17700/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 1998/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6353/15-16

दिनांक: 17.11.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद प्रेषण खण्ड-द्वितीय, एस०एल०डी०सी०, परिसर विभूति-खण्ड-द्वितीय, लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. श्री राम किशोर कश्यप, से०नि० अवर अभियन्ता, एस० एस०-569, सेक्टर एन-2 कुर्सी रोड, अलीगंज, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

(हस्ताक्षर)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छाटा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 2000/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4672/10-11

दिनांक: 17.11.18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री दर्शन सिंह चौहान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री दर्शन सिंह चौहान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4292 दिनांक 20.01.2011
(ग) जन्मतिथि	:	05.01.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रभात किरन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रे0पे0 8900
(घ) वेतन	:	62160 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	25055 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	10022 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	15033 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	25055 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	15033 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	161300 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	80650 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	80650 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	10022 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	70628 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	80650 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	48390 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 2000/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4672/10-11

दिनांक: 17.11.18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
- श्री दर्शन सिंह चौहान, सं०नि० अवर अभियन्ता, शरीफपुर गैसरोली बुलन्दशहर।
- सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 2001/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4900/12-13

दिनांक: 17.11.18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री कोमल प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री कोमल प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4621 दिनांक 20.04.2012
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शान्ति देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	-
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 5400
(घ) वेतन	:	29170/-
(ङ) मूल पेंशन	:	12575/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5030/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	7545/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	7545/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	75600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	37800/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	37800/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5030/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32770/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	37800/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	22680/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 2001/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4900/12-13

दिनांक: 17.11.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
3. श्री कोमल प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 218 हाफिजपुर निकट भगत सिंह चौराहा, पोस्ट-हाफिजपुर, जिला-आजमगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

(मूल, विद्युत, लखनऊ)
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)
लेखाधिकारी पेंशन

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

पृष्ठ 1/5

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 2002/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6888/17-18

दिनांक: 17.11.18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
जिला कोषागार,
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी स्व० जियालाल, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी स्व० जियालाल, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	: पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 5956 दिनांक 30.12.2017
(ग) जन्मतिथि	: 18.02.1964
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती कमलेश कुमारी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: लागू नहीं
2. (क) मृत्यु तिथि : 12.03.2010
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवें वेतनमान
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : (9300-34800)
 (घ) वेतन : 18590+5400=23990/-
 (ङ) मूल पेंशन : लागू नहीं
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : लागू नहीं
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 11995/-
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 7197/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 50 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 9
 (ख) निर्धारित वेतन : 63300/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : लागू नहीं
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : लागू नहीं
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : लागू नहीं
 (ङ) राशिकृत पेंशन : लागू नहीं
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : लागू नहीं
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 31650/- दि० 11.03.2020 तक
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 25740/- दि० 12.03.2020 से अग्रेतर
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (छ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 2002/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6888/17-18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 17.11.18

पंजीकृत-
पंजीकृत-
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिवालन खण्ड आजमगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
4. श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी स्व० जियालाल से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-बटौआपुर, पोस्ट-कोटियाचित्रा, तहसील-ऊंचाहार, रायबरेली।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2674 / 06-07

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विजेन्द्र कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विजेन्द्र कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	2890 दिनांक 26.07.2006
(ग) जन्मतिथि	07.03.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सविता रानी गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	28.07.1954
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.03.2005
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : (16400-20000)
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 20000 + 10000 = 30000/-
 (घ) वेतन : 14773/-
 (ङ) मूल पेंशन : 4299/-
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 10474/-
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : -
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 9000/-
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 65 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 (क) पेमेंटिक्स : 13
 (ख) निर्धारित वेतन : 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 69550/-
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : 68497/-
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 68497/-
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 4299/-
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 64198/-
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 41730/-
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या 803/मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2674 / 06-07

दिनांक: 17/11/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
3. श्री विनोद कुमार गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, III एफ० 83/8, राकेश शर्मा नेहरू नगर, गाजियाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छत्र तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2248 / 04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री महेन्द्र सिंह त्यागी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री महेन्द्र सिंह त्यागी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2463 दिनांक 01.09.2005
(ग) जन्मतिथि	:	15.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रमा त्यागी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतन मान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10000/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2669/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	7331/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 322 दिनांक 26.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन गैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2669/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66881/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 2248 / 04-05
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 12/11/18

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-
 पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्री महेन्द्र सिंह त्यागी से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ए 26/1, नन्द विहार रोहटा रोड के पास गौडविन पब्लिक स्कूल, मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या 2005/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4713/10-11

दिनांक: 17.11.18

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रामजीत यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रामजीत यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	4434 दिनांक 06.04.2011
(ग) जन्मतिथि	04.06.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गुलइचा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.03.1953
2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.06.2009
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे0 8900
(घ) वेतन	49680+8900=58580 /-
(ङ) मूल पेंशन	29290 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	9730 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	19560 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	29290 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	17574 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	152000 /-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	76000 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550 /-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	76000 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	9730 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	66270 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	45600 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

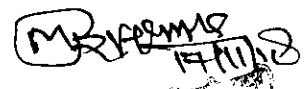
संख्या 2005/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4713/10-11

दिनांक: 17.11.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, 400 के0वी0 उपकेन्द्र-हाफिजपुर आजमगढ़ को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
4. श्री रामजीत यादव, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० 262, हाफिजपुर आजमगढ़।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-
 पंजीकृत-



लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 6387 / 15-16

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
 जिला कोषागार,
 इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री महेश कुमार, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री महेश कुमार, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	5437 दिनांक 02.09.2015
(ग) जन्मतिथि	19.06.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.10.1965
(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	30.06.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	27230 + 6600 = 33830/-
(ङ) मूल पेंशन	16915/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	6766/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	10149/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	16915/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	10149/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेटिक्स	9
(ख) निर्धारित वेतन	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	6766/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	37084/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	43850/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	-

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

दिनांक: 13/11/18

संख्या 2016/मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 6387 / 15-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद।
3. मुख्य अभियन्ता (पारिवारिक पेंशन-पूर्व), 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद को सेवपुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
4. श्री महेश कुमार, से०नि० कार्यालय सहायक-प्रथम, 15-आई, चकिया, पी०ओ०जी०टी०बी० नगर, इलाहाबाद
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
 पंजीकृत-
 पंजीकृत-

(Signature)
 13/11/18

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
कमरा नं०: ६२६/६२७, छत्र तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 6160 / 14-15

दिनांक:

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री प्राण नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री प्राण नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5190 दिनांक 12.09.2014
(ग) जन्मतिथि	:	15.01.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरोज
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	12.11.1959
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवा वेतन मान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ) वेतन	:	26860 + 6600 = 33460
(ङ) मूल पेंशन	:	16730/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6692/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10038/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	16730
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	10038/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० 322 दिनांक 26.07.2018 द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	87700/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	43850/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	43850/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6692/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उराका संज्ञान न लिया जाये	:	37158/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	43850/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	26310/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या / मु०अभि०(हाइडिल)/ लेखाधिकारी(पेंशन)/ 6160 / 14-15
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 12/11/18

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, ठाकुरगंज, लखनऊ।
3. श्री प्राण नाथ श्रीवास्तव से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-521क/101/1 छपपर तला बड़ा चौद गंज महानगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)